

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं०प्र०सं०

प्रथम पक्ष— हीराधन साहु पिता स्व० भोकरो साहु सा० गरई।

बनाम

वाद सं० 37/2021

द्वितीय पक्ष— सत्यनारायण साहु पिता स्व० भोकरो साहु सा० गरई।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 23/8/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 21/2021 दिनांक 06/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) हीराधन साहु पिता स्व० भोकरो साहु सा० गरई थाना कामडारा बनाम द्वितीय पक्ष (1) सत्यनारायण साहु पिता स्व० भोकरो साहु सा० गरई थाना कामडारा जिला गुमला के बीच भूमि बटवारा को लेकर आपसी तनाव एवं विवाद संबंधी वाद को लेकर उभय पक्षों के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं०प्र०सं० की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षों को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोतों से अप्राप्त है। उभय पक्ष न्यायालय के बाहर आपसी समझौता कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उक्त वाद को सुलहनामा कर वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु सुलहनामा दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	